



अल्पकालीन निविदा (रुचि की अभिव्यक्ति)

इच्छुक कंपनियों / फर्मों / एजेन्सियों से पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना एवं संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति की आमंत्रण सूचना।

जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद अंतर्गत पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) की स्थापना एवं संचालन हेतु इच्छुक कंपनियों / फर्मों / एजेन्सियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

रुचि की अभिव्यक्ति हेतु शर्तें निम्न हैं :-

1. निविदादाता/संस्था को सुसंगत कानून में निबंधन अनिवार्य होगा। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
2. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा बिहार के किसी भी जिले के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) संचालन हेतु कार्य करने का आदेश प्राप्त हो (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।
3. पिछले तीन वर्षों से एक या अधिक जिलों में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) संचालन का अनुभव होना चाहिए। (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।
4. सिविल सर्जन द्वारा कंडिका '3' के लिए कार्य संतोषप्रद होने का तीन वर्षों का अलग-अलग प्रमाण-पत्र होना चाहिए (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।
5. NRC में भर्ती बच्चों का Cure Rate 85% या अधिक होना चाहिए। जिला स्वास्थ्य समिति या राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. एक या अधिक संस्था द्वारा अहर्तायें पूरी करने पर जिन संस्था का सबसे अधिक Cure Rate का प्रतिशत होगा, उसको प्राथमिकता दी जायेगी। (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

नोट :-

1. इच्छुक कंपनियों / फर्मों / एजेन्सियों को रुचि की अभिव्यक्ति हेतु सील बंद लिफाफे में मांगी गई वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
2. संस्था को 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का EMD राशि जमा करना होगा।
3. रुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि 23/05/16 को अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
4. रुचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि 24/05/16 अघोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपराह्न 03:00 बजे खोला जायेगा।
5. रुचि की अभिव्यक्ति की जानकारी जहानाबाद जिले के वेबसाइट [www.jehanabad.bih.nic.in](http://www.jehanabad.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।
6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित दर से अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।
7. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप ही सेवा देना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण में इसमें कमी पाई जाती है तो राशि में कटौती की जायेगी तथा एकरारनामा रद्द भी किया जा सकता है।
8. चयनित संस्था से एकरारनामा ग्यारह माह के लिए या जब तक इस मद में राज्य से राशि प्राप्त होती रहेगी या राज्य स्वास्थ्य समिति से संस्था द्वारा NRC संचालन के संबंध में कोई नया निर्देश प्राप्त नहीं हो जाता है जो भी पहले हो तक किया जायेगा।
9. जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद बिना कारण बताये रुचि की अभिव्यक्ति को पूर्णतः या अंशतः निरस्त कर सकती है।

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,  
जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष  
जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद।